

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
पत्रांक 1540 / 14-1 आगरा : दिनांक : 06, अक्टूबर, 2018

अधिसासी अभियन्ता,
(नि0ख0-1)
लोक निर्माण विभाग, आगरा।

विषय : आगरा में फतेहाबाद रोड़ पर अबन्तीबाई चौराहे से कचौराघाट मार्ग (एस0एच0-62) के कि0मी0 11 का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.4 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-719/आगरा/26962/2017 दिनांक 04.10.2018 एवं वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का पत्रांक-1596/14-1 दिनांक 04.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति बिन्दु संख्या-02 एवं 05 के निराकरण हेतु सुसंगत अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त अपने किसी प्रतिनिधि को लखनऊ भेजकर मूल पत्रावली नोडल कार्यालय से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1540 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।